

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Second Bail Application No.
13692/2025

CNR: RJHC020914652025 | URN: CRLMB / 26460U / 2025

Satyam Bhadada S/o Shri Sanjay Bhadada, R/o Near Old Police
Line, Behind New Bus Stand, Rajnagar, Rajsamand, Rajasthan.
313324

(Presently confined at Central Jail, Jaipur).

-----Petitioner

Versus

Union of India, (NCB) through special P.P.

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Ashish Gausinga, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Tej Prakash Sharma, SPP for NCB Mr. Pulkit Saini, RO, NCB Mr. Kuldeep Meena, JRO, NCB Mr. Hemant Kalal, SP, Rajsamand Mr. Subodh Jangid, CI, SHO, PS Kelwa, Rajsamand

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

1.	Arguments Concluded On:	29.07.2026
2.	Order Reserved On:	29.07.2026
3.	Full Order/Operative Part Pronounced:	Full Judgment
4.	Pronounced On:	05.08.2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एन.सी. बी. जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या VIII(IO)09/NCB/JPZU/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 8, 22, 23, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के अनन्य कब्जे से पार्सल बरामद नहीं हुआ है। स्वतंत्र

साक्षीगण के बयान एवं किसी भी दस्तावेजी प्रत्यक्ष साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि पार्सल में क्या है, इसके संबंध में प्रार्थी/अभियुक्त को पूर्व से ज्ञान हो और उसके द्वारा कोई आरोपित कृत्य किया गया हो, यह भी स्पष्ट नहीं है। पार्सल पर प्रार्थी/अभियुक्त का नाम नहीं है, ना ही उसका कोई पता, मोबाईल नम्बर है, केवल प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि वह सौरभ कुमावत व जितेन्द्र कीर के कहने पर पार्सल लेने के लिए गया था। प्रार्थी/अभियुक्त की मौके पर उपस्थिति के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी/अभियुक्त ने आरोपित कृत्य किया हो और उसके अनन्य कब्जे से मादक पदार्थ बरामद हुआ हो। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से 26.06 ग्राम Methaqualone बरामद हुआ है जो मादक पदार्थ अधिनियम में उक्त मादक पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा 500 ग्राम से कम होने से वाणिज्यिक मात्रा से कम है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा 37 एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को सहअभियुक्त के व्हाट्सएप मैसेज एवं मोबाईल फोन के आधार पर अन्तर्वलित किया गया है, जो विधिक दृष्टि से नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण में एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 की धारा 52(A) की पालना नहीं करने के कारण से मादक पदार्थ की तपतीश संदेहास्पद है। प्रार्थी/अभियुक्त ने पोस्ट ऑफिस पसुन्द से कोई पार्सल प्राप्त नहीं किया है, ना ही पोस्ट ऑफिस द्वारा निर्धारित रजिस्टर पर कोई हस्ताक्षर किये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, उसके विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उससे कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक 03.08.2025 को बतायी गई है, जबकि वस्तुतः उसकी गिरफ्तारी दिनांक 02.08.2025 को लगभग शाम 5.00 बजे पसुन्द से की गई थी। दिनांक 03.08.2025 को सायं 8.30 बजे एन.सी.बी. कार्यालय सेक्टर 10, विद्याधर नगर, जयपुर में उसे गिरफ्तार करना बताया गया है। एन.सी.बी. कार्यालय जयपुर में उसे 24 घण्टे से अधिक समय तक गिरफ्तार कर अवैध गिरफ्तारी की है एवं इस संबंध में प्रार्थी/अभियुक्त ने एक प्रार्थना पत्र विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.08.2025 को प्रस्तुत किया था, जो अभी भी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित है। प्रार्थी/अभियुक्त को पसुन्द से गिरफ्तार किया गया है, इस संबंध में पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद से सी.सी.टी.वी. फूटैज के फर्द विश्लेषण

न्यायालय द्वारा मंगवाये गये थे, लेकिन पुलिस अधीक्षक, राजसमंद एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद ने जानबुझकर सी.सी.टी.वी. फूटैज की प्रति प्रस्तुत नहीं की है, जिससे उनकी गलती स्पष्ट नहीं हो सके। पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद ने रोजनामचा रपट लिखी जिसमें दिनांक 03.08.2025 को समय 00.42 ए.एम. पर प्रार्थी/अभियुक्त को डिटेन करना बताया गया है, डिटेन का तात्पर्य गिरफ्तारी होती है और जब की दिनांक 03.08.2025 को एन.सी.बी. कार्यालय जयपुर में समय 8.30 बजे गिरफ्तारी बतायी गई है जो गिरफ्तारी अवैध है, अवैध गिरफ्तारी के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता है तथा वह जमानत प्राप्त करने का अधिकारी है। थानाधिकारी, पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद एवं पुलिस अधीक्षक, राजसमंद ने जानबुझकर सी.सी.टी.वी. फूटैज एवं कैमरा रिकॉर्डिंग विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं और अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि सी.सी.टी.वी. फूटैज और कैमरे का डाटा समय के अनुरूप हट गये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03.08.2025 से अभिरक्षा में है, उसका विचारण प्रारम्भ नहीं हुआ है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जावे। न्यायालय के आदेश की पालना में थानाधिकारी, पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद द्वारा सी.सी.टी.वी. फूटैज के फर्द विश्लेषण की रिपोर्ट पेश नहीं की है और थानाधिकारी पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद को न्यायालय में व्यक्तिशः उपस्थिति दिये जाने के आदेश के बावजूद भी थानाधिकारी, पुलिस थाना कैलवा की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा गया, जिससे उसके विरुद्ध न्यायालय के द्वारा अवमानना की कार्यवाही की जावे। थानाधिकारी, पुलिस थाना कैलवा द्वारा न्यायालय के दिये गये नोटिस का जवाब पेश किया गया है और जवाब में भी ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है, जिससे यह माना जा सके कि न्यायालय के आदेश के बावजूद उसका न्यायालय में उपस्थित नहीं होने का युक्तियुक्त संतोषजनक कारण था। थानाधिकारी कैलवा, जिला राजसमंद द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना करने के कारण से उसे दोषसिद्ध कर दण्डित किया जावे।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत किये:—

1. Naeem Ahmed Alias Naim Ahmad Vs Govt. of NCT of Delhi; Criminal Appeal No. 1247/2024; Order Dated 28.02.2024
2. Badiduja Ali @ Badariddoja Ali Vs The State of Westt Bengal; Special Leave to Appeal No. 20661/2025; Order Dated 10.03.2026
3. Abhi Chandan Vs State of Odisha; Special Leave to Appeal No. 2709/2026; Order Dated 21.04.2026
4. SK. Rabban Vs State of West Bengal; SLP (Crl.) No. 5965/2026; Order Dated 27.04.2026
5. Zuberkhan @ Langado Hamidkhan Pathan Vs State of Gujarat; Special Leave to Appeal No. 3476/2026; Order Dated 06.04.2026
6. Hamid Gafur Vs State of Tamil Nadu; SLP (Crl.) Diary No. 7638/2026; Order Dated 20.04.2026
7. Rajadurai Vs The State of Tamil Nadu; Special Leave to Appeal (Crl.) No. 4729/2026; Order Dated 05.05.2026
8. Ajit Rana & Anr. Vs State of Chhattisgarh; Special Leave Petition (Crl.) No. 18875/2025; Order Dated 23.01.2026
9. Directorate of Enforcement Vs Subhash Sharma; Special Leave Petition (Crl.) No. 1136/2023; Order Dated 21.01.2025
10. Hanumant Jagganath Nazirkar Vs The State of Maharashtra; Writ Petition No. 54/2025; Order Dated 27.06.2025
11. Anuj Kumar Singh Vs Union of India; CRM-M-2979-2026 (O&M); Order Dated 16.04.2026

12. Biswajit Mandal Vs Inspector, Narcotic Control Bureau Cochin; Bail Appl. No. 8581/2025; Order Dated 12.08.2025
13. Mohan Lal Vs State of Rajasthan; (2015) 6 Supreme Court Cases 222; Order Dated 17.04.2015
14. Rakesh Kumar Raghuvanshi Vs State of Madhya Pradesh; 2025 SCC OnLine SC 122; Order Dated 16.01.2025
15. Saneesh Soman Vs Narcotics Control Bureau; 2025 SCC OnLine Del 4994; Order Dated 21.07.2025
16. Bharat Chaudhary Vs Union of India & Other Connected Matter; (2021) 20 Supreme Court Cases 50; Order Dated 13.12.2021
17. Mohd. Hussain Ahmed Shaikh Vs State of Maharashtra & Other Connected Matter; 2024 SCC OnLine Bom 3961; Order Dated 09.05.2024
18. Muskan Vs State of Rajasthan; S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13082/2024; Order Dated 22.10.2024

विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि फ्रांस से पार्सल ट्रेकिंग संख्या LW991157416FR से अवैध मादक पदार्थ प्राप्त हुआ जो नारायण गमेती, 9109450163, पसुन्द, मोर्चना नहर निमोदा, भैरुनाथ मोटर्स, राजसमंद, राजस्थान को डिलीवर किया जाना था, उक्त पार्सल में मादक पदार्थ होने की संभावना के आधार पर उसे खोलने के संबंध में विडियोग्राफी करवायी गई, स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में उसे खोला गया और उसमें Methaqualone कुल वजन 26.06 ग्राम मादक पदार्थ पाया गया, जिसको स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में जब्त किया गया और उक्त मादक पदार्थ की डिलीवरी किसके द्वारा ली जाती है, इस संबंध में डमी पार्सल बनाया जाकर संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया, उक्त पार्सल की डिलीवरी देने के लिए नारायण गमेती से सम्पर्क किया तो उसने कहा कि वह

आकर पार्सल ले लेगा, फिर 15.20 बजे के करीब तीन व्यक्ति आये और उन्होंने नारायण गमेती वाला पार्सल प्राप्त करने लिए आना बताया, प्राप्ति रसीद पर अपने हस्ताक्षर किये, फिर उन तीनों व्यक्तियों को बताया कि डमी पार्सल है और मूल पार्सल में मादक पदार्थ बरामद हुआ है, जिसका पंचनामा बनाया गया, जिस पर सुरेन्द्र गुर्जर, पूरण व सत्यम ने हस्ताक्षर किये। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मादक पदार्थ MDMA पाया गया, ना कि Methaqualone पाया गया है। एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना में 10 ग्राम से ऊपर की मात्रा के MDMA को वाणिज्यिक मात्रा में होना बताया गया है, उक्त प्रकरण में 26.06 ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ है जो वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है, ऐसी स्थिति में वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मात्रा का मादक पदार्थ बरामद होने पर धारा 37 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के प्रावधान लागू होते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त अन्य सहअभियुक्तगण के साथ डमी पार्सल को लेने के लिए आया एवं मूल पार्सल में वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मात्रा का मादक पदार्थ बरामद हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त अन्य व्यक्ति के कहने से मादक पदार्थ लेने गया हो, ऐसा संभव नहीं है, उसने स्वयं को अन्य व्यक्ति की जगह रखकर पार्सल प्राप्ति के रूप में हस्ताक्षर किये हैं, ऐसी स्थिति में अपराध कारित करने में उसकी अन्तर्विलितता स्पष्ट होती है। पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद की सी.सी.टी.वी. फूटैज व कैमरे की सी.डी. विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. कैसेज, जयपुर महानगर-प्रथम में प्रस्तुत कर रखे हैं। उक्त सी.सी.टी.वी. रिकॉर्डिंग की प्रतियां सीलबंद स्थिति में रखे जाने के संबंध में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने एन.सी.बी. द्वारा प्रस्तुत याचिका 482 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत सीलबंद रखे जाने के आदेश दिये हैं। पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद की सी.सी.टी.वी. फूटैज निर्धारित अवधि के पश्चात् समाप्त हो गयी है, ऐसी स्थिति में उनको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थानाधिकारी, पुलिस थाना कैलवा, पुलिस अधीक्षक, जिला राजसमंद बिना शर्त माफी मांगते हैं कि वे न्यायालय के आदेश की पालना में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके तथा अपना पक्ष नहीं रख सके। उनका कथन है कि थानाधिकारी, पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद इस न्यायालय में उपस्थित हुए थे, लेकिन वह अपना पक्ष नहीं रख सके, न्यायालय में अनुपस्थिति के लिए वे क्षमा मांगते हैं एवं उन्हें बिना शर्त माफ किया जावे।

प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत किये:—

1. State of Rajasthan Vs Swarn Singh @ Baba; Criminal Appeal No. 856/2024; Order Dated 12.02.2024
2. Vijay Meena Vs State of Rajasthan & Ors; S.B. Criminal Writ Petition No. 770/2026; Order Dated 10.04.2026
3. Sukhanath Vs State of Rajasthan; S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 2260/2025; Order Dated 19.03.2025
4. The Zonal Director, Narcotics Control Bureau Vs Satyam Bhadada; S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 2023/2026; Order Dated 01.04.2026

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दिनांक 30.07.2025 को श्री कुलदीप मीना, कनिष्ठ आसूचना अधिकारी, एन.सी.बी., क्षेत्रीय इकाई, जयपुर को विनय सिंह, अधीक्षक, एन.सी.बी. जयपुर के द्वारा सूचित किया गया है कि आर.एल.मीना, अधीक्षक कस्टम्स, विदेश डाकघर, जीपीओ, जयपुर के द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.बी., जयपुर को पत्र लिखा गया है, जिसमें यह अवगत करवाया है कि एक पार्सल जिसका ट्रेकिंग नम्बर है LW991157416FR है जो फ्रांस से प्राप्त हुआ है और उसकी स्कैनिंग के दौरान उसमें कुछ संदिग्ध लगा, जिसके बाद उक्त पार्सल को जीपीओ स्टॉफ की उपस्थिति में खोला तो पार्सल में सफेद पाउडरनुमा पदार्थ मिला और उसकी जब्ती की कार्यवाही की गई और उस पर नारायण गमेती, 9109450163, पसुन्द, मोर्चना नहर निमोदा, भैरुनाथ मोटर्स, राजसमंद, राजस्थान का पता लिखा गया है, पार्सल को खोला तो उसमें एक प्लास्टिक का जिपर, प्लास्टिक बैग पाया गया और उसमें

सफेद रंग का क्रिस्टल पाउडरनुमा पदार्थ METHAQUALONE कुल वजन 26.06 ग्राम पाया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार संबंधित पोस्ट ऑफिस में उक्त पार्सल की डिलीवरी लेने के लिए प्रार्थी/अभियुक्त सत्यम भदादा सहअभियुक्तगण सुरेन्द्र व पूरण के साथ आया, उन तीनों में से कोई भी नारायण गमेती नहीं था और उनके द्वारा उक्त पार्सल नारायण गमेती के कहने पर लेने आना बताया और प्राप्ति रसीद पर उनके द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये। प्रार्थी/अभियुक्त सत्यम भदादा, सहअभियुक्तगण सौरभ कुमावत व जितेन्द्र के कहने से पार्सल लेने आया या वह स्वयं मादक पदार्थ के अपराध में लिप्त था, इस कारण से पोस्ट ऑफिस में मादक पदार्थ का पार्सल लेने के लिए आया था यह तथ्य विचारण का विषय है, इस स्तर पर प्रथमदृष्टया यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रार्थी/अभियुक्त अपराध कारित करने में अन्तर्वलित नहीं हो और वह अपने दोस्त सहअभियुक्तगण सौरभ कुमावत व जितेन्द्र के कहने से पार्सल लेने आया हो। प्रार्थी/अभियुक्त ने स्वयं को नारायण गमेती बताकर प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर किये हैं, यह तथ्य प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट करता है कि प्रार्थी/अभियुक्त अपराध कारित करने में अन्तर्वलित था एवं वह एन.सी.बी. की टीम के द्वारा पूछे जाने पर स्वयं का सही नाम बताते हुए यह कहता कि मुझे अन्य व्यक्तियों ने भेजा है एवं मेरा नाम सत्यम भदादा है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में जब्त मादक पदार्थ MDMA बताया गया है, जिसमें 10 ग्राम से अधिक मात्रा के मादक पदार्थ को वाणिज्यिक मात्रा का बताया गया है तथा प्रकरण में 26.06 ग्राम MDMA बरामद हुआ है जो वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है, ऐसे में इस प्रकरण में धारा 37 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं।

मादक पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा को कब्जे में रखना, उसका परिवहन करना या तस्करी करना एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 (जिसे आगे अधिनियम, 1985 कहा जाएगा) की धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार अत्यंत गंभीर बताया गया है। अधिनियम, 1985 की धारा 37 को यहां उल्लेखित किया जाना न्यायोचित होगा:—

[37. Offences to be cognizable and non-bailable.--

(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974),--

(a) every offence punishable under this Act shall be cognizable;

(b) no person accused of an offence punishable for¹[offences under section 19 or section 24 or section 27A and also for offences involving commercial quantity] shall be released on bail or on his own bond unless--

(i) the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release, and

(ii) where the Public Prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail.

(2) The limitations on granting of bail specified in clause (b) of sub-section (1) are in addition to the limitations under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or any other law for the time being in force on granting of bail.].

अधिनियम, 1985 की धारा 37 के अंतर्गत जो व्यक्ति वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मात्रा के मादक पदार्थ का क्रय—विक्रय करने के दंडनीय अपराध को करता है तो उसे तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक विद्वान लोक अभियोजक को अभियुक्त के जमानत लिए जाने के प्रार्थना पत्र पर विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया हो और जहां विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र को लिए जाने के संबंध में विरोध किया हो, तथा न्यायालय यदि ऐसे आधारों से संतुष्ट है, जिसके आधार पर वह यह पाता हो कि अभियुक्त ने अपराध कारित नहीं किया है और उसके द्वारा अन्य कोई अपराध कारित नहीं किया जाएगा। अधिनियम, 1985 की धारा 37(1)(बी) के तहत वाणिज्यिक मात्रा के मादक पदार्थों के अपराध के संबंध में जमानत लिए जाने के प्रति न्यायालय को नकारात्मक रुख अपनाने के लिए कहा गया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित विनिश्चय **“Union of India Vs. Ajay Kumar Singh Alias Pappu; 2023 SCC OnLine SC 346”** के सुसंगत भाग को यहां उद्धरित किया जाना न्यायोचित होगा:—

"14. This apart, it is noticed that the High Court, in passing the impugned order of bail, had lost sight of Section 37 of the NDPS Act, which, inter alia, provides that no person accused of an offence involving commercial

quantity shall be released on bail unless the twin conditions laid down therein are satisfied, namely, (i) the public prosecutor has been given an opportunity to oppose the bail application; and (ii) the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such an offence and that he is not likely to commit any such offence while on bail.

15. For the sake of convenience Section 37(1) is reproduced hereinbelow:—

“37. Offences to be cognizable and nonbailable.-

(1) Notwithstanding anything contained in the Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974)-

(a) every offence punishable under this Act shall be cognizable;

(b) no person accused of an offence punishable for 2[offences under section 19 or section 24 or section 27A and also for offences involving commercial quantity] shall be released on bail or on his own bond unless-

(i) the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release, and

(ii) where the Public Prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail.”

16. In view of the above provisions, it is implicit that no person accused of an offence involving trade in commercial quantity of narcotics is liable to be released on bail unless the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such an offence and that he is not likely to commit any offence while on bail.”

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित विनिश्चय

“State of Punjab Versus Balraj Singh @ Billa; 2023 INSC 618”

के पैरा संख्या 14, 15, 16, 17 को भी यहां उद्धरित किया जाना न्यायोचित होगा:—

14. As rightly submitted by the appellant State, this Court, in **Lalrintluanga Sailo** (Supra) while setting aside the bail granted by the High Court therein had held that consideration on the twin conditions under Section 37 of the NDPS Act is essential by the concerned Court. It was observed:

10. Thus, the provisions under Section 37(1)(b)(ii) of the NDPS Act and the decisions referred supra revealing the consistent view of this Court that while considering the application for bail made by an accused involved in an offence under the NDPS Act a liberal approach ignoring the mandate under Section 37 of the NDPS Act is impermissible. Recording a finding mandated under Section 37 of the NDPS Act, which is sine qua non for granting bail to an accused under the NDPS Act cannot be avoided while passing orders on such applications.”

15. To the similar effect, this Court in **State by the Inspector of Police v. B. Ramu** reiterated that satisfaction with the conditions laid down under Section 37 of the NDPS Act is mandatory while entertaining a prayer for bail involving commercial quantity of narcotic drugs. [See also: **Ajay Kumar Singh alias Pappu** (Supra)]

16. In similar circumstances, this Court in **Union of India v.**

Namdeo Ashruba Nakade observed that the mandatory nature of Section 37 cannot be dispensed with:

"12. Prima facie this Court is of the opinion that the Respondent-accused is involved in drug trafficking in an organized manner. Consequently, no case for dispensing with mandatory requirement of Section 37 of the NDPS Act is made out in the present matter.

13. Moreover, this Court is of the view that as the accused has been charged with offences punishable with ten to twenty years rigorous imprisonment, it cannot be said that the Respondent has been incarcerated for an unreasonably long time."

17. Keeping in view the above expositions of law, we now proceed to examine the impugned order. The abovementioned decisions of this Court display the consistent view that when it comes to cases involving commercial quantity of narcotics, the mandatory requirements of Section 37 ought to be considered. It is not in dispute that the case at hand, involves commercial quantity. In such a scenario, consideration and reference to the twin conditions enumerated under Section 37 of the NDPS Act was mandatory. Upon a bare perusal of the impugned order, it is evident that there has been no consideration at all by the High Court on the twin conditions. In such a scenario, the impugned order cannot be sustained in the eyes of law.

प्रकरण में नारायण गमेती के नाम से पोस्ट ऑफिस में मादक पदार्थ का पार्सल प्राप्त करना, स्वयं का सत्यम भदादा नाम नहीं होकर नारायण गमेती नाम बताकर हस्ताक्षर करना और पार्सल प्राप्त किया जाना प्रथमदृष्टया प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध उसकी आरोपित अपराध में अन्तर्वलिता को स्पष्ट करता है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मात्रा के मादक पदार्थ का पार्सल प्राप्त करने और उस पर धारा 37 एन.डी. पी.एस. एक्ट के प्रावधान लागू होने के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

जहां तक प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी अवैध है या नहीं और अवैध गिरफ्तारी के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं इस तथ्य का प्रश्न है तो प्रार्थी/अभियुक्त ने अवैध गिरफ्तारी के संबंध में दिनांक 04.08.2025 को विद्वान विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. कैसेज जयपुर महानगर-प्रथम में प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त प्रार्थना पत्र अभी भी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित है। इसके अतिरिक्त थानाधिकारी, पुलिस थाना कैलवा, जिला

राजसमंद के थाने की सी.सी.टी.वी. रिकॉर्डिंग की सी.डी. भी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हुई है, इसके संबंध में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा धारा 482 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिका में आदेश दिया हुआ है। इस न्यायालय द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद और पुलिस अधीक्षक, जिला राजसमंद से प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में सी.सी.टी.वी. फुटेज के फर्द विश्लेषण की प्रतियां मंगवाई गई थी, लेकिन उक्त सी.सी.टी.वी. फुटेज को थानाधिकारी, पुलिस थाना कैलवा ने सुरक्षित नहीं रखा है। थानाधिकारी पुलिस थाना कैलवा व पुलिस अधीक्षक, जिला राजसमंद ने प्रस्तुत पत्र में यह कहा है कि निर्धारित समयावधि के पश्चात् उक्त सी.सी.टी.वी. फुटेज समाप्त हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में उनके फर्द विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं। वस्तुतः जब प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष यह आपत्ति की है कि उसकी गिरफ्तारी इस प्रकरण में अवैध है तो ऐसी स्थिति में थानाधिकारी पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद द्वारा सी.सी.टी.वी. फुटेज को सुरक्षित रखा जाना चाहिए था या नहीं, सी.सी.टी.वी. फुटेज को समाप्त किये जाने पर उसका क्या प्रभाव होगा, इस तथ्य का अवधारण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर उसके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2025 को अवधारित करते समय किया जा सकता है, इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी वैध है या अवैध है इस संबंध में किसी प्रकार का मत व्यक्त किये जाने से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2025 निष्प्रभावी हो जायेगा तथा विद्वान विचारण न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.8.2025 का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं कर पायेगा। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी अवैध है और इस कारण से वह जमानत प्राप्त करने का अधिकारी है।

इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08.07.2026 के माध्यम से सी.सी.टी.वी. कैमरे की रिकॉर्डिंग और डाटा के फर्द विश्लेषण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया गया था, किन्तु निर्धारित तारीख पर रिकॉर्डिंग और फर्द विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किये जाने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना कैलवा,

जिला राजसमंद को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण मय तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था और उक्त आदेश की पालना में थानाधिकारी, पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस पर इस न्यायालय द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 08.07.2026 की पालना नहीं किये जाने के संबंध में न्यायालय की अवमानना करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया था। थानाधिकारी, पुलिस थाना कैलवा ने पत्र क्रमांक 1869 दिनांक 28.07.2026 एवं पुलिस अधीक्षक, जिला राजसमंद ने पत्र क्रमांक अ-6()राजस-अप/डी.ई./2026/23439 दिनांक 28.07.2026 प्रस्तुत किये गये, जिनका अवलोकन किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद ने अपने जवाब में इस तथ्य का कहीं उल्लेख नहीं किया है कि वे क्यों और किन आधार पर न्यायालय के आदेश दिनांक 08.07.2026 की पालना करने में असमर्थ रहे और न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2026 की पालना नहीं किये जाने का कोई भी युक्तियुक्त संतोषप्रद कारण थानाधिकारी पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद नहीं बता पाये है, वे न्यायालय में उपस्थित थे, इस संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद ने स्वयं का एवं संबंधित विशिष्ट लोक अभियोजक का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि थानाधिकारी, पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद न्यायालय के आदेश दिनांक 08.07.2026 की पालना में न्यायालय में उपस्थित हुए हो, पूर्व में थानाधिकारी, पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद ने न्यायालय के आदेश की अवमानना की हो, ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है तथा थानाधिकारी, पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर न्यायालय के आदेश की पालना नहीं किये जाने के संबंध में बिना शर्त माफी मांगी है, ऐसी स्थिति में समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए थानाधिकारी, पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद को इस हिदायत के साथ बिना शर्त माफी प्रदान की जाती है कि वह भविष्य में न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं करेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध न्यायसंगत उचित कार्यवाही अमल में लाई जावेगी तथा पुलिस अधीक्षक, जिला राजसमंद को आदेश की प्रति

भेजी जावे तथा वे इस संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद को लिखित में सूचित करे तथा उक्त सूचना को थानाधिकारी, पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद की सेवा पुस्तिका या उसके सेवा अभिलेख के साथ संलग्न रखे, जिससे आवश्यकता पडने पर न्यायालय द्वारा उसका अवलोकन किया जा सके। उक्त विवेचन के आधार पर थानाधिकारी, पुलिस थाना कैलवा, जिला राजसमंद के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना के नोटिस से बिना शर्त उन्मुक्त किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसके द्वारा वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मात्रा का मादक पदार्थ प्राप्त करना बताया गया है एवं अपराध कारित किये जाने में उसकी अन्तर्वलिता प्रथमदृष्ट्या स्पष्ट होती है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अत्यंत गंभीर किस्म के हैं। प्रकरण में अभी अनुसंधान लंबित है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अभी आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त सत्यम भदादा पुत्र श्री संजय भदादा की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

चूंकि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03.08.2025 से अभिरक्षा में है, अतः विद्वान विचारण न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रकरण का तीव्र गति से निस्तारण का प्रयास करें एवं विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे विद्वान विचारण न्यायालय को प्रकरण के तीव्र निस्तारण में सहयोग प्रदान करेंगे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J